कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश.

क्रमांक/225 /तकनीकी/2010　　　　　　　　　　भोपाल, दिनांकः 1/2/11

प्रति,

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/
जिला पंजीयक (म0प्र0)

विषयः–औद्योगिक इकाईयों के पक्ष में निष्पादित विक्रय/पट्टे की लिखतों के संबंध में ।

हाल ही में सीधी जिले में तीन दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क से गलत छूट प्राप्त कर पंजीयन करने के प्रकरण प्रकाश में आए हैं । उक्त दस्तावेजों पर उप पंजीयक द्वारा त्रुटिपूर्ण स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है । उक्त प्रकरणों में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा स्टाम्प शुल्क से छूट औद्योगिक इकाईयों के पक्ष में दी गई है ।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को ऐसी छूट प्रदाय करने के लिये अधिकृत नहीं किया गया है । स्टाम्प शुल्क से छूट के संबंध में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण–पत्रों में वाणिज्यिक कर विभाग की जिस अधिसूचना दिनांक 21.6.2005 का हवाला दिया गया है, वह मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी नहीं की गई है, यह छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना है । इस प्रकार उक्त प्रकरणों में 35 लाख रूपये से अधिक की राजस्व हानि हुई है, जिसे हालांकि अब वसूल किया जा चुका है ।

ऐसी स्थिति अन्य जिलों में भी निर्मित हो सकती है । इसकी रोकथाम के लिये आवश्यक है कि औद्योगिक इकाईयों के विक्रय/पट्टे के दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर सावधानी पूर्वक उनका परीक्षण किया जाए तथा मध्यप्रदेश में लागू प्रावधानो के अन्तर्गत पंजीयन किया जाए ।

निरंतर..2..

अतएव अपने अधीनस्थ उप पंजीयकों को तदनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करें । साथ ही अपने जिले में विगत 5 वर्षों में पंजीबद्ध ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करें तथा अनाधिकृत छूट के प्रकरण पाए जाने पर नियमानुसार कमी शुल्क वसूली हेतु प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराऐं ।

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.